15/07/22- पत्रावली प्राप्त पेश हुई
उक्त उनवान प्रकरण की
इस पत्रावली पक्षकारगण की
अदम पैरवी व अदम हाजरी
मे खारिज किया गया
है मत। इस प्रकरण
तकसीम होने से एक प्रकरण
मे कोई कार्यवाही शेष नही
रहा है मत। यह प्रकरण
पक्षकारान की अदम हाजरी
व अदम पैरवी मे खारिज
किया जाता है पत्रावली निर्णीत
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

श्री

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) महोदय,

गुडामालानी

प्रार्थीगण :-

1. ताजाराम पुत्र गोमदाराम उम्र 41 वर्ष
2. चम्पालाल पुत्र गोमदाराम उम्र 45 वर्ष
3. बबरी पत्नि गोमदाराम उम्र 70 वर्ष
4. रामाराम पुत्र मोटाराम उम्र 72 वर्ष जाति सुथार

निवासी तेजियावास बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम:-

विप्रार्थीगण :-

1. धना पुत्र गुमना उम्र 55 वर्ष
2. जोरा पुत्र गुमना उम्र 52 वर्ष
3. हुकमाराम पुत्र दमाराम उम्र 48 वर्ष
4. मोहन पुत्र गोरखा उम्र 45 वर्ष
5. खेराज पुत्र गोरखा उम्र 40 वर्ष
6. किसना पुत्र गोरखा उम्र 38 वर्ष

   नेनु पत्नि गोरखा फौत के कायम मुकाम

   प्रतिवादी संख्या 4 [illegible] ... गुडामालानी जिला बाडमेर

   जाति सुथार निवासी तेजिय[illegible]
7. शाखा प्रबन्धक [illegible]
8. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते पाने अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र निम्न प्रकार है :–

1. कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमान जी के समक्ष पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावना हैं।
2. कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का पुस्तैनी सयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी का खेत मौजा तेजियावास पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 33–08 बीघा किस्म बा. दो., का आया हुआ है।
3. कि उक्त विवादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 33–08 बीघा किस्म बा. दो.,मे प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 का सयुक्त कब्जा काश्त का खेत आया हुआ है । कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 4 का 1/6 हिस्सा व विप्रार्थीगण सख्या 1 का 1/8 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा व विप्रार्थीगण संख्या 3 का 1/3 हिस्सा व विप्रार्थीगण संख्या 4 से 7 का सयुक्त 1/6 हिस्सा कब्जा काश्त एवं मालिकान हक हकूक का है। कि उक्त विवादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की जमीन पर अपनी अपनी ढाणिये पशु चारबाडे बने हुऐ है एवं पानी के टांके बने हुऐ है।
4. कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि थी अब रोज पांच दिन पुर्व विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को आकर [illegible] कि आ यहां से हट जाओ नही तो हम जबरन [illegible] के बैचान कर देगे कि उक्त विवादग्रस्त आराजी [illegible] पर लगती हुई आई हुई है। कि अब विप्रार्थीगण बार बार यहा धमकी दे रहे है। कि कटाटान रास्ते पर पुरा मैं ही कब्जा करूगां कि उक्त कटटान रास्ते के सहारे सहारे प्रार्थीगण की ढाणीये एवं टाकें बने हुऐ यदि [illegible] यदि बैचान कर दिया तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested